



सं.- 15 -डी०एस०एम०/सोलर रूफटॉप संयंत्र/15/वाल-5/2019/MBC दिनांक:- ०६ जनवरी, 2023

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल, वि०वि०नि०लि०
वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ
केस्को-कानपुर।

विषय:- शुद्ध बिलिंग /शुद्ध फीड-इन (Net Billing /Net Feed-in) सम्बन्धित दिशा-निर्देश के संबंध में।

यूपीईआरसी (रूफटॉप सोलर पी०वी० ग्रिड पारस्परिक प्रणालियाँ सकल/शुद्ध मापन) विनियमावली, 2019 के प्रथम संशोधन (संलग्नक) में Net-Metering & Goss-Metering के अतिरिक्त शुद्ध बिलिंग अथवा शुद्ध फीड-इन (Net Billing / Net Feed-in) को समायोजित करते हुए दिनांक 01.06.2022 को उ०प्र० शासन, ऊर्जा विभाग द्वारा सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है जिसमें शुद्ध बिलिंग अथवा शुद्ध फीड-इन (Net Billing /Net Feed-in) के टैरिफ एवं ऊर्जा लेखांकन को निम्नवत् परिभाषित किया गया है-

1) परिभाषा (Definition) — शुद्ध बिलिंग अथवा शुद्ध फीड-इन (Net Billing /Net Feed-in) से आपूर्ति स्थल पर शुद्ध बिलिंग अथवा शुद्ध फीड-इन (Net-Metering /Net Feed-in) के लिए प्रयोग किया गया एकल द्विदिशात्मक ऊर्जा मीटर (Single Bi- Directional Energy Meter) अभिप्रेत है, जिसमें ग्रिड से आयातित ऊर्जा और प्रोज्यूमर की ग्रिड इंटरेक्टिव रूफ टॉप सोलर फोटोवोल्टिक प्रणाली से निर्यातित ऊर्जा का मूल्यांकन दो अलग-अलग टैरिफों पर किया जाना है।

2) सक्षम उपभोक्ता (Eligible Consumer)-

(i) **शुद्ध बिलिंग अथवा शुद्ध फीड-इन (Net Billing /Net Feed-in)** योजना का तात्पर्य वितरण अनुज्ञापिधारी के आपूर्ति क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी श्रेणी के ऐसे विद्युत प्रोज्यूमर से है जो अपने परिसर जो कि स्व स्वामित्व अथवा तीसरे पक्ष के स्वामित्व में हो सकता है, जिसमें ग्रिड से आयातित ऊर्जा एवं प्रोज्यूमर के ग्रिड से सम्बद्ध रूफटाप सोलर पीवी पद्धति को निर्यातित ऊर्जा का मापन एकल द्विदिशात्मक ऊर्जा मीटर के माध्यम से आयोग द्वारा निर्धारित किये गये दो भिन्न टैरिफ पर मूल्यांकित किया जाता है।

(ii) **सकल मापन (Gross Metering)** योजना का तात्पर्य वितरण अनुज्ञापिधारी के आपूर्ति क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी श्रेणी के ऐसे विद्युत प्रोज्यूमर से है जो अपने परिसर जो कि स्व स्वामित्व अथवा तीसरे पक्ष के स्वामित्व में हो सकता है, में ग्रिड से सम्बद्ध रूफटाप सोलर पीवी पद्धति स्थापित करने का इच्छुक/स्थापित कर चुका है, जिसका उद्देश्य समस्त ऊर्जा विद्युत वितरण अनुज्ञापिधारी को आयोग द्वारा निर्धारित दर पर विक्रय करना है।

(iii) **शुद्ध मीटरिंग (Net Metering)** योजना का तात्पर्य अनुज्ञापिधारी के मीटर्ड प्रोज्यूमर से है जो कृषि श्रेणी (एलएमवी-5) अथवा एलएमवी-1 श्रेणी का घरेलू उपभोक्ता है, जो उपभोक्ता परिसर में जो कि स्व स्वामित्व अथवा तीसरे पक्ष के स्वामित्व में हो सकता है, में ग्रिड से सम्बद्ध रूफटाप सोलर पीवी पद्धति स्थापित करने का इच्छुक/स्थापित कर चुका है, जिसमें ग्रिड से आयातित ऊर्जा एवं ग्रिड से सम्बद्ध रूफटाप सोलर पीवी पद्धति को निर्यातित ऊर्जा को एकल द्विदिशात्मक ऊर्जा मीटर के माध्यम से निवल (Netted) किया जाता है।

3) आवेदन एवं पंजीकरण की प्रक्रिया (Procedure for Application and Registration)— रूफटॉप सोलर हेतु आवेदन एवं पंजीकरण की प्रक्रिया यूपीईआरसी (रूफटॉप सोलर पी०वी० ग्रिड पारस्परिक प्रणालियाँ सकल/शुद्ध मापन “Gross/Net Metering”) विनियमावली (Regulation), 2019 (प्रति संलग्न) के विनियम-7 के अनुसार किया जायेगा।

4) शुद्ध बिलिंग/शुद्ध फीड-इन टैरिफ (Net Billing/Net Feed-in Tariff)— का तात्पर्य वितरण अनुज्ञापिधारी को शुद्ध बिलिंग/शुद्ध फीड-इन (Net-Metering & Gross-Metering) व्यवस्था के अन्तर्गत आपूरित विद्युत के लिए जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित टैरिफ से है जो कि सकल मीटरिंग (Gross Metering) व्यवस्था के लिए समान होगा।

यूपीईआरसी (रुफटॉप सोलर पी०वी० ग्रिड पारस्परिक प्रणालियाँ सकल/शुद्ध मापन) **विनियमावली, 2019** के विनियम-10 के अनुसार सकल मापन (Gross Metering) हेतु ऊर्जा लेखांकन (Energy Accounting) निम्नवत् प्राविधिक है—

“The Distribution Licensee shall reimburse the eligible consumer or the third-party owner as the case may be for the quantum of injected electricity by the rooftop solar PV system during the billing period by way of ‘Solar Injection Compensation’

Provided that the Solar Injection Compensation to be paid by the Distribution Licensee to the eligible consumer or third-party owner as the case may be shall be the weighted average tariff of Large-Scale Solar projects of 5MW and more discovered through Competitive Bidding in last Financial Year and adopted by the Commission plus an incentive of 25%. e.g., For FY 2018-19, weighted average tariff of large Solar projects of 5 MW and more discovered through Competitive Bidding in FY 2017-18 and adopted by the Commission plus an incentive of 25% shall be applicable. In case no bidding is done in previous Financial Year, then last applicable tariff for gross metering shall continue.”

उक्त के संबंध में निदेशक (वाणिज्य), उ०प्र०पा०का०लि० के पत्र सं०-४३१/आर०ए०य००/ आर०ए०पी०वी०, 2019 दिनांक 31.08.2022 (संलग्न) के द्वारा सकल मापन (Gross Metering) Tariff वर्ष 2022-23 हेतु दर रु० 3.58/यूनिट निर्धारित है।

5) ऊर्जा लेखांकन एवं समझौता (Energy Accounting and Settlement)— शुद्ध बिलिंग/शुद्ध फीड-इन (Net Billing /Net Feed-in) व्यवस्था के अन्तर्गत रुफटॉप सोलार पी वी प्रणाली स्थापित करने एवं परिचालन करने वाले सक्षम उपभोक्ता/तृतीय पक्ष खामित्व के लिये ऊर्जा लेखांकन एवं समझौता कार्य प्रणाली निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार होगी—

- (i) प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए, अनुज्ञापिधारी बिलिंग अवधि में रुफटॉप सोलार पी वी प्रणाली द्वारा ढाली गयी विद्युत की मात्रा एवं वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा आपूरित विद्युत, पृथक रूप से दर्शाया जायेगा।
- (ii) आर्थिक ऊर्जा का मौद्रिक मूल्य (Monetary Value) लागू फुटकर प्रशुल्क (Retail Tariff) पर आधारित होगा। निर्यातित सौर ऊर्जाका मौद्रिक मूल्य विनियमावली (Regulation) 2(gg) में पारिभाषित शुद्ध बिलिंग/शुद्ध फीड-इन प्रशुल्क (Net Billing/Net Feed-in Tariff) जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किया गया हो, पर आधारित होगा।
- (iii) शुद्ध देय/प्राप्य बिल (Net bill payable/Receivable) निर्यातित ऊर्जा के मौद्रिक मूल्य एवं वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा आपूरित विद्युत के बिल (राजकीय कर आदि को सम्मिलित करते हुए) के अन्तर से निर्धारित किया जायेगा। शुद्ध देय बिल (Net Payable Bill) की दशा में लागू टैरिफ आदेश एवं विद्युत प्रदाय सहित के लैट पैमेंट सरवार्ज एवं अन्य प्रावधान लागू होंगे। शुद्ध प्राप्य बिल (Net Bill Receivable) की दशा में धनराशि को आगे ले जाया जायेगा एवं भविष्य में जारी किये जाने वाले बिल में समायोजित किया जायेगा।
- (iv) जब एक सक्षम उपभोक्ता प्रणाली को छोड़ेगा अथवा वित्तीय वर्ष के अन्त में, जो भी पहले हो, उपभोक्ता को वितरण अनुज्ञापिधारी (Distribution Licensee) से कोई शेष प्राप्य हो, उपभोक्ता को शेष का भुगतान कर दिया जायेगा।
- (v) सामूहिक शुद्ध बिलिंग/शुद्ध फीड-इन (Group Net Billing/Net Feed-in) की दशा में, समूह में एकल उपभोक्ता एवं तृतीय पक्ष (यदि सम्मिलित हो) के मध्य समायोजन का दायित्व समूह अथवा तीसरे पक्ष का होगा एवं उनके बीच के अनुबन्ध से आच्छादित होगा। डिस्काम द्वारा इस खाते में कोई फिक्स चार्ज तृतीय

पक्ष एग्रीगेटर पर आरोपित नहीं किया जायेगा, किन्तु आयातित ऊर्जा के लिए लागू नियम एवं विनियम के अनुसार आरोपित किया जायेगा।

- (vi) सक्षम उपभोक्ता को माने हुए उत्पादन शुल्क देय नहीं होंगे।
- (vii) लागू टैरिफ में kVAh के आधार पर बिलिंग होने की दशा में, ऊर्जा के Drawl or Injection को भी kVAh में मापा जायेगा।
- (viii) वितरण अनुज्ञापिधारी प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए विद्युत बिल के साथ निम्नलिखित विवरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगा—
 - अ) रूफटाप सोलार पी वी प्रणाली से उत्पादित विद्युत की मात्रा,
 - ब) रूफटाप सोलार पी वी प्रणाली द्वारा वितरण प्रणाली में Injected की गयी विद्युत की मात्रा,
 - स) सक्षम उपभोक्ता को वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा आपूरित विद्युत की मात्रा,
 - द) आयोग द्वारा निर्धारित Feed-in टैरिफ के आधार पर रूफटाप सोलर पी वी प्रणाली द्वारा वितरण प्रणाली में Injected की गयी विद्युत का मौद्रिक मूल्य (Monetary Value),
 - य) टैरिफ आदेश के आधार पर वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा सक्षम उपभोक्ता को आपूरित विद्युत का मौद्रिक मूल्य (Monetary Value),
 - र) शुद्ध देय प्राप्य बिल (Net payable/Receivable bill) वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा आपूरित विद्युत के बिल (राजकीय कर आदि को सम्मिलित करते हुए) तथा निर्यातित ऊर्जा के मौद्रिक मूल्य (Monetary Value) एवं गत माह से आगे लाया गया प्राप्य (Receivable), यदि कोई हो, के योग के अन्तर से निर्धारित किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार शुद्ध बिलिंग अथवा शुद्ध फीड-इन (Net Billing /Net Feed-in) सम्बन्धित टैरिफ एवं ऊर्जा लेखांकन (Energy Accounting) की कार्यवाही एवं यूपीईआरसी (रूफटॉप सोलर पी वी प्रिड पारस्परिक प्रणालियाँ संकल/शुद्ध मीटरिंग (Net/Gross Metering)) विनियमावली-2019 (प्रथम संशोधन) (यथा संलग्न) से भी अवगत कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करें। उक्त विनियमावली/संशोधन के अनुसार बिलिंग व्यवस्था हेतु चरणबद्ध प्रक्रिया एवं समय-सीमा मात्रा ३०प्र० विद्युत नियामक आयोग से अनुमोदनोपरान्त पृथक रूप से निर्गत की जाएगी।

संलग्नक—यथोपरि


(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, ३०प्र०पा०का०लि०, ७वां तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक, यूपीनेडा, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।